प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः– एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2015–16/23/8288-3 दिनांकः 02/12/2015

विषयः– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में होटल मॉयरियाड लखनऊ के सभागार में दिनांक 19 नवम्बर 2015 को आहूत की गई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में होटल मॉयरियाड लखनऊ के सभागार में दिनांक 19 नवम्बर 2015 को आहूत की गई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अधिशासी निदेशक, टी0एस0यू0, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, महाप्रबंधक, एम0 एण्ड ई0, वित्त नियंत्रक, एन0एच0एम0, समस्त महाप्रबंधक एस0पी0एम0यू0/सिफ्सा एवं महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अधिकारियों सहित प्रदेश के समस्त मण्डलों के अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारियों तथा मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिये गये निर्णयों एवं निर्देशों पर कार्यवाही कराकर 15 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण एवं अनुपालन आख्या संकलित कर प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः अनुमोदित कार्यवृत्त।

भवदीय,

(डा0 ए0बी0 सिंह)
उपमहाप्रबंधक (एम0 एण्ड ई0)

पत्रांकः– एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2015–16/23/ तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उ0प्र0शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
5. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अधिशासी निदेशक/अपर अधिशासी निदेशक, सिफ्सा को सूचनार्थ प्रेषित।
7. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
8. परियोजना निदेशक, यू0पी0एच0एस0एस0पी0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
9. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
10. वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।
11. समस्त महाप्रबन्धक, वित्त नियन्त्रक, अधिशासी अभियन्ता एवं उप महाप्रबन्धक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
उपमहाप्रबंधक (एम0 एण्ड ई0)

प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः– एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2015–16/23/ दिनांकः 02/12/2015

<u>विषयः– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में होटल मॉयरियाड लखनऊ के सभागार में दिनांक 19 नवम्बर 2015 को आहूत की गई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बंध में।</u>

महोदय/महोदया,

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में होटल मॉयरियाड लखनऊ के सभागार में दिनांक 19 नवम्बर 2015 को आहूत की गई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अधिशासी निदेशक, टी0एस0यू0, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, महाप्रबंधक, एम0 एण्ड ई0, वित्त नियंत्रक, एन0एच0एम0, समस्त महाप्रबंधक एस0पी0एम0यू0/सिफ्सा एवं महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अधिकारियों सहित प्रदेश के समस्त मण्डलों के अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारियों तथा मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिये गये निर्णयों एवं निर्देशों पर कार्यवाही कराकर 15 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण एवं अनुपालन आख्या संकलित कर प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः अनुमोदित कार्यवृत्त</u>।

भवदीय,

(डा0 ए0बी0 सिंह)
उपमहाप्रबंधक (एम0 एण्ड ई0)

पत्रांकः– एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2015–16/23/8288-2(12) तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उ0प्र0शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
5. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अधिशासी निदेशक/अपर अधिशासी निदेशक, सिफ्सा को सूचनार्थ प्रेषित।
7. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
8. परियोजना निदेशक, यू0पी0एच0एस0एस0पी0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
9. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
10. वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।
11. समस्त महाप्रबन्धक, वित्त नियन्त्रक, अधिशासी अभियन्ता एवं उप महाप्रबन्धक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
उपमहाप्रबंधक (एम0 एण्ड ई0)

राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक दिनॉक 19 नवम्बर 2015 का कार्यवृत्त

दिनांक 19 नवम्बर 2015 को प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन होटल मायरियाड में किया गया। बैठक में मिशन निदेशक–एन0एच0एम0, अधिशासी निदेशक–टी0एस0यू0, महानिदेशक–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं महानिदेशक–परिवार कल्याण, वरिष्ठ सलाहकार–एन0एच0एम0, महाप्रबंधक एम0एण्डई0, वित्त नियंत्रक–एन0एच0एम0, समस्त महाप्रबंधक एस0पी0एम0यू0/सिफ्सा एवं महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अधिकारियों सहित प्रदेश के समस्त मण्डलों के अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारियों तथा मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक का कार्यवृत्त निम्नवत है:–

मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 द्वारा समीक्षा बैठक प्रारम्भ की गई।

चर्चा के बिन्दु एवं दिये गये निर्देश –

- मिशन निदेशक द्वारा मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर एवं प्रतिरक्षण की वर्तमान स्थिति एवं वर्ष 2016–17 तक प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों पर विस्तार से बताया गया। समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि एफ0आर0यू0, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में प्रसव सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाया जाये। साथ ही परिवार नियोजन के क्षेत्र में प्राईवेट सर्विस प्रोवाईडर को हौसला साझेदारी कार्यक्रम में जोडकर परिवार नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास करने के निर्देश दिये गये। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
- मिशन निदेशक द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राज्य स्तरीय अधिकारियों के जनपद में पहुँचने पर पूर्ण सहयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाये। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
- मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि डी0पी0एम0यू0 में कार्यरत डी0पी0एम0/डी0सी0पी0एम0/डी0डी0एम0 एवं डी0ए0एम0 से एस0पी0एम0यू0 द्वारा निर्धारित कार्य ही लिया जाये। डी0पी0एम0यू0 और मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के मध्य आपसी सामंजस्य बेहतर होना चाहिए। प्रत्येक कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु कार्ययोजना निर्माण, अनुश्रवण एवं फीडबैक में प्रबंधकों का सहयोग लिया जाना चाहिए। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
- मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 9वें सी0आर0एम0 भ्रमण के दौरान जनपद सीतापुर एवं जनपद जालौन में व्यय धनराशि के सापेक्ष वाउचर नही पाये गये, यह स्थिति वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आती है। ब्लाक लेखा प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक भविष्य में किसी भी दशा में बिना वाउचर के टेली एवं लेखा पुस्तकों में व्यय की राशि का अंकन नहीं करेंगे। पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से भुगतान व्यय के वाउचर प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जायेगा। बिना वाउचर के पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से व्यय पाये जाने पर जनपद/ब्लाक के संबंधित लिपिक/ब्लाक लेखा प्रबंधक एवं जिला लेखा प्रबंधक (नाम से) वित्तीय अनियमितता के दोषी माने जायेंगे, जिनके विरूद्व एन0आर0एच0एम0–एस0पी0एम0यू0–उ0प्र0 के मुख्यालय से एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी जायेगी। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/जनपदीय एवं ब्लाक लेखा प्रबंधक)**
- मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपदीय लेखा प्रबंधक, जनपद के समस्त इकाईयों की लेखा पुस्तकों/व्यय वाउचरों का सत्यापन स्वयं कर विस्तृत रिपोर्ट 31 दिसम्बर 2015 के पूर्व वित्त नियंत्रक–एन0एच0एम0 एवं प्रति ईमेल आई0डी0 meupfollowup@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही– समस्त जनपदीय लेखा प्रबंधक)**

- मिशन निदेशक द्वारा वित्त नियंत्रक– एन0एच0एम0 को निर्देशित किया गया कि मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालयों में तैनात वित्त एवं लेखाधिकारियों की एक बैठक प्रमुख सचिव/मिशन निदेशक की अध्यक्षता में अतिशीघ्र आयोजित कराई जाये। **(कार्यवाही– वित्त नियंत्रक–एस0पी0एम0यू0)**
- मिशन निदेशक द्वारा जनपद – लखनऊ, कुशीनगर, इलाहाबाद, जौनपुर, हरदोई, बाराबंकी, खीरी, उन्नाव, बलिया, बदांयू, प्रतापगढ़, अलीगढ़, फैजाबाद, आजमगढ़ और फतेहपुर के मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जननी सुरक्षा योजना में एक सप्ताह में लाभार्थी का लंबित भुगतान करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)**
- मिशन निदेशक द्वारा जनपद – बिजनौर, बांदा, महोबा, उन्नाव, हापुड़, फतेहपुर, श्रावस्ती, संत रवीदासनगर, गाजियाबाद, चंदौली, कासगंज, इलाहाबाद, बहराइच, बदॉयू, सहारनपुर के मुख्य चिकित्साधिकारियों को जननी सुरक्षा योजना के तहत आशाओं का शत प्रतिशत भुगतान एक सप्ताह में करने के निर्देश दिये गये। **(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)**
- मिशन निदेशक द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी आगरा, अमेठी, औरेया, आजमगढ़, बहराईच, बांदा, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलन्दशहर, इटावा, फैजाबाद, फतेहपुर, हापुड़, हरदोई, जालौन, कानपुर देहात, कुशीनगर, खीरी, ललितपुर, महाराजगंज, महोबा, पीलीभीत, संत कबीरनगर, शाहजहॉपुर, शामली, सिद्वार्थनगर, सुल्तानपुर एवं उन्नाव को BPMU की Operational cost को जनपद स्तर से ब्लॉक स्तर पर दो दिन में transfer करने के निर्देश दिये गये। **(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)**
- मिशन निदेशक द्वारा 69 जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को BMW Management एवं Cleaning/ Washing/House Keeping and Laundry Management हेतु प्रेषित धनराशि को जिला चिकित्सालयों/ब्लॉक इकाईयों को दो दिन में हस्तांतरित करने के निर्देश दिये गये। **(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)**
- मिशन निदेशक द्वारा जनरेटर हेतु POL की धनराशि 57 जनपदों द्वारा जिला स्तरीय चिकित्सालयों/ब्लाक इकाईयों को हस्तांतरित न करने को गम्भीरता से लेते हुए दो दिन में हस्तांतरित करने के निर्देश दिये गये। **(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)**
- जनपद आगरा, सुल्तानपुर, बरेली, अमेठी, मिर्जापुर, गोरखपुर, गाजीपुर, इटावा, प्रतापगढ़, अलीगढ़, बलिया, रामपुर, संत कबीरनगर, बहराइच, मथुरा, द्वारा 16 नवम्बर 2015 तक 6694 PFMS पोर्टल से प्राप्त Print Payment Advice (PPA) जिनका मूल्य 14474.61 लाख है, बैंक में प्रेषित नहीं की गयी हैं। मिशन निदेशक द्वारा तीन कार्यदिवसों में उक्त एडवाईस बैंको में भेजने हेतु निर्देशित किया गया। **(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)**
- मासिक FMR में दर्शाया गया व्यय, PFMS पोर्टल में प्रदर्शित व्यय में भारी अन्तर जनपद इटावा, हरदोई, फैजाबाद, कुशीनगर, खीरी, वाराणसी, बुलन्दशहर, अमेठी, मुरादाबाद, संतकबीर नगर, बरेली, इलाहाबाद, झांसी और सहारनपुर में पाया गया जबकि जनपद गोरखपुर, बांदा, बिजनौर, महोबा, सुल्तानपुर, आगरा, लखनऊ, महारजगंज, जालौन, रायबरेली, सिद्वार्थनगर, बस्ती, मिर्जापुर, शाहजहांपुर एवं रामपुर में FMR में कम व्यय दर्शाया गया है जबकि PFMS में अधिक व्यय प्रदर्शित हो रहा है। मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि जिला लेखा प्रबंधकों के साथ वित्तीय समीक्षा करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)**
- महानिदेशक–चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा प्रदेश के चिकित्सालयों की कियाशीलता पर चर्चा की। विगत वर्ष की तुलना में ओ0पी0डी0 में 13.26 प्रतिशत, आई0पी0डी0 में 7.91 प्रतिशत, बेड आक्यूपेंसी में 4.84 प्रतिशत, एक्स रे में 12.16 प्रतिशत, अल्ट्रासाउण्ड में 17.63 प्रतिशत, पैथोलाजी में 23.06 प्रतिशत की वृद्वि माह अक्टूबर 2015 में पाई गई। मेजर सर्जरी विगत वर्ष माह अक्टूबर 2014 में 3.09 लाख के सापेक्ष माह अक्टूबर 2015 में 2.94 लाख रही जिसमें 4.85 प्रतिशत की गिरावट रही।

महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतापगढ़, फतेहपुर, बलिया, मऊ, संतकबीरनगर, सिद्वार्थनगर, बाराबंकी, अमेठी, कन्नौज, बागपत, मेरठ, सम्भल एवं गाजीपुर के मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि सर्जरी न करने वाले विशेषज्ञों पर कार्यवाही कर शासन को संदर्भित करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)**

- महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि डिजीटल एक्सरे एवं सी0टी0स्कैन की मॉग जनपद मे हो तो मॉगपत्र महानिदेशालय को प्रेषित करें। साथ ही एक्स रे टेक्निशियन की मॉग संबंधी पत्र महानिदेशालय को प्रेषित करें। मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं से संबंधित राज्य मुख्यालय, महानिदेशालय को किये गये पत्राचार की प्रति ई मेल आई0डी0 meupfollowup@gmail.com पर प्रेषित करने पर एम0 एण्ड ई0 अनुभाग फॉलोअप कर अवगत करायेंगे। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**

- मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक स्वास्थ्य इकाई पर चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। मिशन निदेशक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य से अनुरोध किया गया कि चिकित्सकों की उपस्थिति एवं किये गये कार्य की प्रतिदिन रिपोर्ट संबंधी शासनादेश को एक बार पुनः समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को प्रेषित किया जाये। समस्त मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सकों की उपस्थिति की समीक्षा समय समय पर करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**

- जननी सुरक्षा योजना के अर्न्तगत जनपद बहराईच, हरदोई, सुलतानपुर, फर्रूखाबाद, गाजीपुर, खीरी, संतकबीरनगर, फैजाबाद, जालौन एवं आजमगढ़ में विगत वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई हैं। मिशन निदेशक द्वारा उक्त जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अविलम्ब समीक्षा कर गिरावट के कारणों को दूर करने का प्रयास करें। मार्च 2016 तक अपेक्षित सुधार न करने की दशा में संबंधित अधिकारियों/कर्मियों के विरूद्व कड़ी कार्यवाही की जायेगी। **(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)**

- मिशन निदेशक द्वारा मण्डलीय अपर निदेशक/मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, आजमगढ़ को निर्देशित किया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रसड़ा, बलिया में कार्यरत ए0एन0एम0 सुनीता को तैनाती से अब तक वेतन क्यों नहीं मिला, पर रिपोर्ट 20 नवम्बर 2015 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही– मण्डलीय अपर निदेशक/परियोजना प्रबंधक, आजमगढ़)**

- मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बैठक उपरान्त जनपद स्तर पर व्यय की समीक्षा करें। माह अक्टूबर 2015 तक की लंबित देनदारियों का भुगतान कर व्यय प्रदर्शित करें। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**

- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा महाप्रबंधक मातृ स्वास्थ्य को निर्देशित किया गया कि जननी सुरक्षा योजना में वित्तीय वर्ष 2015–16 में जे0एस0वाई0 प्रशासनिक व्यय की फॉट जनपदवार/इकाईवार तैयार कर राज्य स्तर से मुख्य चिकित्साधिकारियों को धनराशि हस्तांतरण हेतु निर्देश 15 दिन में जारी किये जायें। **(कार्यवाही– महाप्रबन्धक–मातृ स्वास्थ्य/समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**

- मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिला स्वास्थ्य समिति की कार्यकारी समिति की बैठक कर धनराशि का हस्तांतरण इकाईयों को शीघ्रातिशीघ्र करना सुनिश्चित किया जाये। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**

- प्रमुख सचिव द्वारा एफ0आर0यू0 ऑपरेशनलाईजेशन के तहत निर्देशित किया गया कि सी0सेक्शन की उपलब्धि को जनपदवार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही– महाप्रबन्धक–मातृ स्वास्थ्य)**

- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा निर्देशित किया गया कि एन0एच0एम0 के विभिन्न कार्यक्रमों में संविदा भर्ती की अवधि बढ़ाने हेतु निर्देश पत्रावली प्रस्तुत कर प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही– महाप्रबंधक–मानव संसाधन)

- जिला स्वास्थ्य समिति, बाराबंकी द्वारा शासन को पत्र प्रेषित किया गया है कि स्टाफ नर्सो की भर्ती राज्य मुख्यालय से कर जनपद बाराबंकी को उपलब्ध करा दिया जाये। प्रमुख सचिव द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी को निर्देशित किया गया कि पत्र की प्रति उपलब्ध करायें जिससे यू0पी0एच0एस0एस0पी0 द्वारा अनुबंधित एच0आर0 एजेंसी के माध्यम से स्टाफ नर्स चयन कर जनपद बाराबंकी को उपलब्ध कराई जा सके। **(कार्यवाही–मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी)**

- मिशन निदेशक द्वारा मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, आगरा को निर्देशित किया कि भविष्य में बैठकों में प्रतिभाग तैयारी के साथ करें। **(कार्यवाही– मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, आगरा)**

- महाप्रबंधक मातृ स्वास्थ्य द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद बिजनौर में 10 ए0एन0एम0, गौतमबुद्ध नगर में 10 स्टाफ नर्स, कौशाम्बी में एक विशेषज्ञ, चित्रकूट में 1 ए0एन0एम0 की अतिरिक्त नियुक्ति कर दी हैं। मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त कर्मियों/विशेषज्ञ का चयन स्वीकृत पदों से अधिक जिस अधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी) द्वारा किया गया है, से वसूली कर संबंधित कर्मी/विशेषज्ञ को वेतन दिया जाये।
(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी/महाप्रबंधक–मातृ स्वास्थ्य)

- मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि भाउराव देवरस संयुक्त चिकित्सालय, महानगर के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा0 अनिल श्रीवास्तव द्वारा अपने चिकित्सालय को एफ0आर0यू0 न मानते हुए कहा जाता है कि यह एन0एच0एम0 का कार्य है न कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का। प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा निर्देशित किया गया कि मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ पूरे प्रकरण को लिखित रूप में शासन को अवगत करायें। **(कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ)**

- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रदेश के 10 जनपद जहॉ एफ0आर0यू0 की कियाशीलता में प्रगति नही हो रही है, वहॉ डा0 विजय लक्ष्मी, सलाहकार को भेजकर विस्तृत परीक्षण करायें। डा0 विजय लक्ष्मी जनपद में एफ0आर0यू0 की कियाशीलता न होने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की भी संस्तुति करेंगी।
(कार्यवाही– महाप्रबन्धक–मातृ स्वास्थ्य/सलाहकार–एस0पी0एम0यू0)

- मिशन निदेशक द्वारा समस्त मण्डलीय अपर निदेशकों को निर्देशित किया गया कि मातृ मृत्यु की समीक्षा प्रत्येक त्रैमास में करना सुनिश्चित करें। जनपद में हाई रिस्क प्रग्नेंसी की सूची 102 एम्बूलेंस के कोआर्डिनेटर को प्रति माह दे दिया जाये जिससे प्रसव के समय प्रसूता महिला को घर से सीधे एफ0आर0यू0/जिला महिला चिकित्सालय ले जाया जा सके। 102 एम्बूलेंस हेतु निर्देश महाप्रबंधक ई0एम0टी0एस0 द्वारा जारी कराया जायेगा।
(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/महाप्रबंधक–ई0एम0टी0एस0)

- मिशन निदेशक द्वारा महाप्रबंधक–आर0आई0 को निर्देशित किया गया कि जनपद सोनभद्र में माह सितम्बर 2015 में सप्लीमेण्टरी इम्यूनाईजेशन एक्टिविटी के दौरान % Remaining Convertible X Houses – 13.5 % होने के कारणों की जॉच के लिए एस0पी0एम0यू0/महानिदेशालय की टीम भेजी जाये। **(कार्यवाही– महाप्रबंधक–आर0आई0/राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी)**

- मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आज दिनॉक से जनपद स्तर पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी का चार्ज बिना मिशन निदेशक की लिखित अनुमति के किसी अन्य अधिकारी को नही दिया जायेगा। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**

- जनपद महाराजगंज में प्रतिरक्षण में धन लिये जाने की निंदा मिशन निदेशक द्वारा की गई। साथ ही मण्डलीय अपर निदेशक/मण्डलीय परियोजना प्रबंधक–गोरखपुर एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महाराजगंज को निर्देशित किया गया कि जनपद में ब्लाकवार ए0एन0एम0 के साथ बैठक कर कड़ी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। कृत कार्यवाही से अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
  (कार्यवाही– मण्डलीय अपर निदेशक/परियोजना प्रबंधक–गोरखपुर एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, महाराजगंज)
- मिशन निदेशक द्वारा मण्डलीय अपर निदेशक/परियोजना प्रबंधक, देवीपाटन को निर्देशित किया कि जनपद बहराईच में ब्लाक लेखा प्रबंधकों की समस्या का हल एक सप्ताह में सुनिश्चित करायें।
  (कार्यवाही– मण्डलीय अपर निदेशक/परियोजना प्रबंधक, देवीपाटन)
- मिशन निदेशक द्वारा महाप्रबंधक आर0आई0 को निर्देशित किया गया कि जनपद बहराईच, बांदा एवं लखीमपुर खीरी के प्रभारी चिकित्साधिकारियों एवं ब्लाक लेखा प्रबंधकों को अतिशीघ्र लखनऊ बुलाकर समीक्षा बैठक कर ली जाये। **(कार्यवाही– महाप्रबंधक–आर0आई0)**
- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि आगामी तीन कार्यदिवसों में एम0सी0टी0एस0 पर मण्डल के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों का ओरियण्टेशन कर लिया जाये। **(कार्यवाही– समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक)**
- मिशन निदेशक द्वारा निदेशक–सी0एम0एस0डी0 को निर्देशित किया गया कि 30 नवम्बर 2015 तक प्रत्येक जनपद में विटामिन ए की आपूर्ति सुनिश्चित करा ली जाये।
  (कार्यवाही– निदेशक–सी0एम0एस0डी0)
- मिशन निदेशक द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, बदायूँ को निर्देशित किया कि प्रमुख सचिव महोदय से पत्रावली में भर्ती की संस्तुति होने की प्रत्याशा में जनपद बदायूँ में एस0एन0सी0यू0 में भर्ती करने की कार्यवाही सुनिश्चित कर लें। **(कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी, बदायूँ)**
- एस0एन0सी0यू0 बहराईच में नियमित सेवा के बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती हेतु शासन को मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराईच अनुरोध पत्र प्रेषित करें। **(कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराईच)**
- मिशन निदेशक द्वारा अपर निदेशक, फैजाबाद को निर्देशित किया कि अपर निदेशक स्वयं जाकर जिला चिकित्सालय, सुलतानपुर में एस0एन0सी0यू0 की स्थापना कर शासन एवं मिशन निदेशक को अवगत करायें। **(कार्यवाही– मण्डलीय अपर निदेशक–फैजाबाद)**
- मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद अमरोहा, बलिया, फिरोजाबाद, हमीरपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कुशीनगर, महोबा, मऊ, मुजफ्फरनगर और मैनपुरी के मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि एस0एन0सी0यू0 की स्थापना 31 दिसम्बर 2015 तक पूर्ण कर अवगत करायें। **(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)**
- प्रमुख सचिव द्वारा संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि दो दिन के भीतर एन0आर0सी0 से संबंधित बजट का हस्तांतरण जिला चिकित्सालय में करना सुनिश्चित करें।
  (कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)
- प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी एच0बी0एन0सी0 प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त करेंगे। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
- प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आशाओं का समस्त भुगतान प्रत्येक माह करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
- मिशन निदेशक द्वारा मण्डलीय परियोजना प्रबंधक झांसी को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक कांसेप्ट नोट तैयार कर अतिशीघ्र प्रेषित करें।
  (कार्यवाही– मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, झांसी)

- प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि किशोरी सुरक्षा योजना के तहत शासकीय/परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक की किशोरियों को निःशुल्क सेनिटरी नेपकिन्स का वितरण किया जाना हैं। यह वितरण अगले चार माह में पूर्ण किया जाना है। बजट समस्त जनपदों को भेज दिया गया हैं। दिनॉक 04 दिसम्बर 2015 को कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्यमंत्री जी आवास पर होगा। ततपश्चात जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वितरण कार्यक्रम किया जायेगा। सैनिटरी नैपकिन का प्राक्योरमेण्ट जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किया जाना है। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा ब्लाक इकाईयों के सहयोग से ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0) तक भेजा जाना है। बी0आर0सी0 द्वारा शासकीय/परिषदीय विद्यालयों तक सैनिटरी नैपकिन्स को भेजकर वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। जनपद में बी0एस0ए0 एवं डी0आई0ओ0एस0 के साथ बैठक करें। योजना का प्रचार प्रसार करायें। प्रमुख सचिव द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि 30 नवम्बर 2015 तक जनपदों में दिशानिर्देशों के अनुरूप सैनिटरी नैपकिन्स की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाये। मैन्सट्रूअल हाईजीन पर बुकलेट को जनपद स्तर पर छपवा लें। बुकलेट की सॉफट कॉपी महाप्रबंधक आर0बी0एस0के0 जनपदों को प्रेषित कर दें। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
- निदेशक–सी0एम0एस0डी0 द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि दवाओं की ई0डी0एल0 सूची जो संशोधित है, विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। ई0डी0एल अनुसार समस्त दवाओं की आपूर्ति हेतु पोर्टल के माध्यम से आर्डर देना सुनिश्चित करें।
  (कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)
- प्रमुख सचिव द्वारा महाप्रबंधक (एच0आर0) को निर्देशित किया गया कि ड्रग वेयर हाउस के डाटा ऑपरेटर जो एन0एच0एम0 से दिये गये है, कि जानकारी संकलित कर उपलब्ध कराई जाये।
  (कार्यवाही– महाप्रबंधक–मानव संसाधन)
- प्रमुख सचिव द्वारा निदेशक–सी0एम0एस0डी0 को निर्देशित किया गया कि विटामिन ए एवं जिंक की आपूर्ति की समीक्षा कर अवगत करायें। **(कार्यवाही–निदेशक–सी0एम0एस0डी0)**
- प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि दवा आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान कर दो दिन में भुगतान राशि पोर्टल पर अपलोड करायें।
  (कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)
- मिशन निदेशक द्वारा महाप्रबंधक–आर0बी0एस0के0 को निर्देशित किया गया कि मण्डल स्तर पर इस कार्यक्रम का रिव्यू करायें। वार्षिक कलैण्डर बनाकर अनुश्रवण कराना सुनिश्चित करें।
  (कार्यवाही– महाप्रबंधक–आर0बी0एस0के0)
- प्रमुख सचिव द्वारा निदेशक–सी0एम0एस0डी0 को निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों में दवाओं की आपूर्ति के पश्चात दवा आपूर्तिकर्ता का भुगतान अधिक लंबित है, का परीक्षण कर कार्यवाही की संस्तुति करें। **(कार्यवाही– निदेशक–सी0एम0एस0डी0)**
- प्रमुख सचिव द्वारा महाप्रबंधक–परिवार नियोजन को निर्देशित किया गया कि एच0एल0एफ0पी0पी0टी0 द्वारा कियान्वित कार्यकमों की समीक्षा अतिशीध्र प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की जाये।
  (कार्यवाही– महाप्रबंधक–परिवार नियोजन)
- प्रमुख सचिव द्वारा उपमहाप्रबंधक–परियोजना, सिफ्सा को निर्देशित किया गया कि हौसला साझेदारी के तहत प्रत्येक जनपद में कितनी संस्थाओं/चिकित्सकों के साथ अनुबंध किया जाये, के संबंध में दिशानिर्देश तैयार कर समस्त जनपदों को प्रेषित किया जाये।
  (कार्यवाही– उपमहाप्रबंधक–परियोजना, सिफ्सा)
- प्रमुख सचिव द्वारा जनपद वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, बहराईच, बाराबंकी और अमेठी के मुख्य चिकित्साधिकारियों को हौसला साझेदारी के तहत मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर पर इम्पेनेलमेण्ट संबंधी प्रमाणपत्र दो दिन के भीतर जाकर जारी करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)

- मिशन निदेशक द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, अमरोहा, औरेया, आजमगढ़, भदोही, चित्रकूट, देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर, हमीरपुर, हाथरस, कन्नौज, कासगंज, लखीमपुरखीरी, ललितपुर, महोबा, मैनपुरी, मउ, मेरठ, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, संत कबीरनगर, सम्भल एवं श्रावस्ती को निर्देशित किया गया कि आई0एम0ए0 एवं नर्सिंग होम एसोसिएशन के साथ बैठक कर इम्पेनेलमेण्ट कराना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)

- मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को परिवार नियोजन कैम्पों हेतु कलैण्डर 31 मार्च 2016 तक का बनाकर महानिदेशालय भेजने के निर्देश दिये गये। साथ ही कॉट की टीम हेतु कलैण्डर भी बनाने के निर्देश दिये गये। (कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

- अधिशासी निदेशक–टी0एस0यू0 द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बुधवार एवं शनिवार को भी नसबन्दी कैम्पों का आयोजन किया जाये।
(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

- मिशन निदेशक द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी गोण्डा, बाराबंकी, फरूखाबाद एवं बरेली को निर्देशित किया कि जननी संस्था के साथ अतिशीघ्र एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)

- प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया वी0एच0एन0डी0 कार्यकम के तहत ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यकमों को प्रभावी तरीके से संपादित करायें। जनपद में मण्डलीय अपर निदेशक ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षणों का अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें। वी0एच0एन0डी0 हेतु समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी लाजिस्टिक्स की व्यवस्था सुनिश्चित करें। वी0एच0एन0डी0 का माईक्रोप्लान अतिशीघ्र तैयार करना सुनिश्चित करें। (कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

- मिशन निदेशक द्वारा वरिष्ठ प्रबंधक वित्त को निर्देशित किया गया कि जनपद लखीमपुर खीरी में स्वयं जाकर कमिटेड बजट के सापेक्ष कोई व्यय न किये जाने की विस्तृत समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
(कार्यवाही– वरिष्ठ प्रबंधक–वित्त)

- मिशन निदेशक द्वारा संबंधित 20 मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि कमिटेड बजट के सापेक्ष व्यय 31 दिसम्बर 2015 तक ही किया जा सकता है।
(कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)

- मातृ स्वास्थ्य के तहत जनपद बिजनौर, हापुड, सिद्वार्थनगर, गाजियाबाद, महोबा, चन्दौली, बांदा, अलीगढ़, गौतमबुद्धनगर, फैजाबाद, सोनभद्र, अमरोहा, कौशाम्बी, बदायूँ और आजमगढ़ के मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष मात्र 25.98 प्रतिशत से 41.54 प्रतिशत तक ही व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में आठ माह बीत जाने के बाद भी मात्र 41 प्रतिशत व्यय को गम्भीरता से लेते हुए मिशन निदेशक द्वारा महाप्रबंधक–मातृ स्वास्थ्य एवं वित्त नियंत्रक को संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही की संस्तुति के निर्देश दिये गये।
(कार्यवाही–महाप्रबंधक–मातृ स्वास्थ्य एवं वित्त नियंत्रक)

- मिशन निदेशक द्वारा वित्त नियंत्रक को निर्देशित किया गया कि मुख्य चिकित्साधिकारी, कौशाम्बी द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद कौशाम्बी में एफ0ए0ओ0 श्री मौर्या द्वारा वित्तीय पत्रावलियों को जानबूझकर लंबित किया जाता है, के संबंध में जिलाधिकारी कौशाम्बी को पत्र प्रेषित किया जाये।
(कार्यवाही– वित्त नियंत्रक)

- मिशन निदेशक द्वारा 28 जनपदों में एन0एच0एम0 के तहत कार्यरत मानव संसाधन को समय पर मानदेय न दिये जाने को गम्भीरता से लेते हुए निर्देशित किया गया कि मासिक मानदेय माह की समाप्ति पर अवश्य दे दिया जाये। भविष्य में जिन जनपदों में भुगतान नही हुआ पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। (कार्यवाही– संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)

- प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पी0एफ0एम0एस0 द्वारा किये गये भुगतान की एडवाईस अगले ही दिन बैंक में भेजना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वीकृत पदों पर भर्ती की तिथि को आगे बढ़ाते हुये निर्देशित किया गया कि समस्त भर्तियां 31 जनवरी 2016 तक अवश्य कर ली जायें। भर्ती संबंधी पत्रावली महाप्रबंधक–एन0यू0एच0एम0, महाप्रबंधक–एच0आर0 को प्रेषित करेंगे जिस पर भर्ती का अनुमोदन प्रमुख सचिव स्तर से प्राप्त कर निर्देश जारी किये जायेंगे।

(कार्यवाही– महाप्रबंधक–एन0यू0एच0एम0/मानव संसाधन एवं समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

- महाप्रबंधक–एन0यू0एच0एम0 को निर्देशित किया गया कि अगली बैठक में प्रति स्वास्थ्य इकाई एवं प्रति चिकित्सक ओ0पी0डी0 प्रति दिन भी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– महाप्रबंधक–एन0यू0एच0एम0)

- मिशन निदेशक द्वारा जनपद अलीगढ़, बदायूँ, झांसी, फैजाबाद, उन्नाव, रामपुर एवं मिर्जापुर में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कियाशील न होने को गम्भीरता से लेते हुए संबंधित मण्डलीय परियोजना प्रबंधकों को एक सप्ताह में उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कियाशील करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– संबंधित मण्डलीय परियोजना प्रबंधक)

- अपर मिशन निदेशक द्वारा जनपदों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अधिक कर्मियों की भर्ती यथा जनपद फिरोजाबाद में 4 स्टाफनर्स एवं 19 ए0एन0एम0, जनपद मैनपुरी में 1 स्टाफ नर्स, चन्दौली मे 8 ए0एन0एम0 एवं मैनपुरी में 2 स्टाफ नर्स अतिरिक्त भर्ती की गई है, को वेतन कहाँ से दिया जा रहा है। उक्त कर्मियों को जिन मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा भर्ती की गई है, से कर्मियों के कार्यअवधि के मानदेय की गणना कर वसूली हेतु संबंधित जिलाधिकारी को पत्र महाप्रबंधक–एन0यू0एच0एम0/मानव संसाधन जारी कराना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही– महाप्रबंधक–एन0यू0एच0एम0/मानव संसाधन)**

- अपर मिशन निदेशक द्वारा निर्माण की समीक्षा करने पर 100 शैयया बाल चिकित्सालय के निर्माण हेतु प्रस्ताव मुख्य चिकित्साधिकारी मऊ को दो दिन में भेजने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–मुख्य चिकित्साधिकारी, मऊ)

- अपर मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राज्य स्तर से निर्माण हेतु जारी धनराशि को तीन कार्यदिवसों में संबंधित निर्माण इकाईयों को हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**

- मिशन निदेशक द्वारा वर्ष 2013–14 में स्वीकृत उपकेन्द्रों यथा जनपद इलाहाबाद में 73 उपकेन्द्रों, बलिया में 9 उपकेन्द्रों, आजमगढ़ में 8 उपकेन्द्रों, चन्दौली में 18 उपकेन्द्रों एवं सीतापुर में 24 उपकेन्द्रों हेतु जमीन उपलब्ध न कराये जाने पर अप्रसन्नता प्रकट की गई। मिशन निदेशक द्वारा अधिशासी अभियन्ता–एन0एच0एम0 को निर्देशित किया गया कि उक्त समस्त उपकेन्द्रों की धनराशि उक्त जनपदों से वापस मंगाकर अन्य जनपदों को आवंटित करना सुनिश्चित करें। इस हेतु संबंधित जिलो के जिलाधिकारी को धनराशि वापस मंगाने हेतु मिशन निदेशक की तरफ से पत्र प्रेषित कर दिया जाये। **(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता–एन0एच0एम0)**

- मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनपद में रक्त दान दाताओं की सूची तैयार कर ब्लड सेफटी पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

- मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि पेट में कीड़े मारने की दवा एल्बेंडाजोल को कई कार्यक्रमों में अलग–अलग खिलाये जाने पर अतिशीध्र शासन स्तर पर निर्णय कराकर समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को पृथक से निर्देशित किया जायेगा।

(कार्यवाही– महाप्रबंधक–बाल स्वास्थ्य/आर.बी.एस.के./राष्ट्रीय कार्यक्रम)

माननीय राज्य मंत्री डा0 शिवप्रताप यादव, श्री शंखलाल मांझी एवं श्री सुधीर कुमार रावत, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 सरकार द्वारा समस्त मण्डलीय अपर निदेशकों एवं मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि

- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित सभी कार्यक्रमों में दी जा रही सुविधाएं मलिन बस्तियों तक पहुंचायी जायें। जिला अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में तैनात विशेषज्ञ डाक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाये साथ ही अस्पतालों में समय पर एवं समुचित मात्रा में दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाये।

- जिन अस्पतालों में स्टॉफ की कमी है वहां भर्ती प्रकिया के माध्यम से इस कमी दूर किया जाये। सभी निर्माण कार्य समय से पूर्ण कर लिये जाये। विभाग की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का संचालन सुचारू रूप से किया जाये तथा सिक न्यूबोर्न केयर यूनिट(एस0एन0सी0यू0) को दो माह में कियाशील किया जाना सुनिश्चित किया जाये। सभी मुख्य चिकित्साधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि अस्पतालों में बाहर की दवा न लिखी जाये तथा सभी सुविधाएं जैसे कि–दवा का वितरण, एक्स–रे एवं पैथालॉजी जांच सरकार की मंशानुसार जनसमुदाय को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाये।

- एन0एच0एम0 द्वारा कार्यक्रमों के कियान्वयन में शिथिलता बरतने वाले जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी गयी। जनपदों के जिला अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत संविदाकर्मियों का वेतन समय से दिये जाने के सख़्त निर्देश दिये गये।

- जिन जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारी नान आर0सी0 के सामान क्रय कर रहे हैं, उन जनपदों की जॉच कर मुख्य चिकित्साधिकारी की जिम्मेदारी मानते हुए कठोर कार्यवाही की जायेगी।

- वर्ष 2015–16 में स्वीकृत गतिविधियों यथा एस0एन0सी0यू0 हेतु जिला चिकित्सालय को बजट प्रेषित न किये जाने पर अप्रसन्नता प्रकट की गई। जनपद बागपत, बिजनौर, चन्दौली, चित्रकूट, गाजियाबाद, गाजीपुर, हाथरस, जौनपुर, रायबरेली, इटावा (मेडिकल कॉलेज), सुल्तानपुर एवं बागपत में बजट हस्तांतरण की जॉच कर कार्यवाही की संस्तुति के निर्देश दिये गये। साथ ही निर्देशित किया कि माह नवम्बर 2015 में समस्त कार्यक्रमों की स्वीकृत धनराशि को समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें।

- राज्य स्तर से जब भी फण्ड जनपदों की रिलीज किया जाये उसकी सूचना जिलाधिकारी को अवश्य कर दी जाये जिससे समय रहते फण्ड का हस्तांतरण किया जा सके।

बैठक के अंत में मिशन निदेशक–एन0एच0एम0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया।